5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 234 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर नि-2908-I-16

- - - - - - - - - -

नि0प्र0 116 निगरानी. टीकमगढ़

शेख रसीद तनय शेख शकूर खाँ निवासी डुमरऊमो

तह.वजिला टीकमगढ़ म.प्र. ..निगरानीकर्ता

बनाम

कदीर खाँ तनय शेख इमामी निवासी अनंतपुरा

तह.वजिला टीकमगढ़ म.प्र.

..प्रतिनिगराकार

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र 820/अ-19/15-16मे पारित निर्णय दिनांक 22/8/2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

- - - - - - - - - - -

महोदय,

1. यहकि निगरानीकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है परीक्षण न्यायालय आदेश दखल रहित अधिनियम 1984 के अंतर्गत होने से इसकी निगरानी माननीय रा0मंडल ग्वालियर मे अधिकारिता है यह प्रकरण आर .बी.सी.के तहत नही है यह कि निगरानीकर्ता को स्वयं के ग्राम डुमरऊ मोटा मे ख.न.29 रकबा 0.6 काभू स्वामित्व म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही द खलरहित पर भू स्वामी अधिकार का प्रदाय किया जाना (विशेष उप बंध) अधि 1984जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से दखल रहित अधिनियम 1984 के नाम से संबोधित कियागया है (प्रदाय किया गया था) जो तहसीलदार टीकमगढ़ प्र0क्र046/अ 19/4/98-99दिनांक 19/11/1998 से स्वामित्व दिया गया था

2. यहकि इस संबंध मे अपील का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत न होने शिकायत कर्ता राजाराम पंशकार ने कलेक्टर टीकमगढ़ के यहाँ शिकायत दर्ज कर निगरानी कर्ता के विरुद्ध शिकायत की थी जिसमे कलेक्टर महोदय ने तहसी को जांच के आदेश दिए और उक्त जांच दिनांक 22/4/2014 को नस्ती बद्ध हु तथा कलेक्टर महोदय का नि0 प्र0क्र. 28/06-07दिनांक 8/10/2013 को निग र के पक्ष मे निर्णीत हुआ था जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है ।

XXVIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2908–एक/16 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 820/अ–19/15–16 में पारित आदेश दिनांक 22–8–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक रसीद खां पुत्र श शकूर खां को तहसीलदार, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 46/अ–19(4)/98–99 में पारित आदेश दिनांक 19–11–1998 द्वारा ग्राम डुमरऊ मोटा स्थित भूमि खसरा नं. 29 रकबा 0.696 हैक्टर का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 14 वर्ष उपरांत अपील पेश की गई अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अपील आदेश दिनांक 4–9–2015 द्वारा स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।	

R. 2908. I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में यह विधिक बिंदु उठाया गया है कि यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का 2–10–1984 के पूर्व से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । आवेदक के पक्ष में भूमि का व्यवस्थापन विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाने के उपरांत पंचायत का प्रस्ताव एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर किया गया था । उक्त अधिनियम के तहत अपील का प्रावधान नहीं है । अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई थी जो प्रचलन योग्य नहीं थी, आवेदक द्वारा इस संबंध में आपत्ति भी की गई परंतु उसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त विधिक बिंदु को अनदेखा कर तथा विलंब के प्रश्न का निराकरण किए बिना तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है जो क्षेत्राधिकार रहित है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पूर्व राजाराम बंशकार कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां शिकायत की गई थी जिस पर प्रकरण कमांक निगरानी 28/2006–07 प्रारंभ किया गया जिसका निराकरण 8–10–13 को आवेदक के पक्ष में किया गया था, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया है जो अधिकारिता विहीन है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है । आवेदक एवं अनावेदक

IX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – टीकमगढ़

प्रकरण कमांक – निग0 2908–एक/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के मध्य नगर टीकमगढ़ में स्थित मकान का प्रकरण लंबित होने से उसके द्वारा दुर्भावना वश शिकायत की गई है जबकि उसका आलोच्य भूमि पर कोई हक अधिकार व कब्जा आदि नहीं है । यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण की पत्रावली को बिना देखे आदेश पारित किया है तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त कर तथा इश्तहार पर कोई आपत्ति न आने के उपरांत व्यवस्थापन आदेश पारित किया है । यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन भूमि 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर स्थित होने का निष्कर्ष भी त्रुटि पूर्ण है । अपर आयुक्त ने उक्त निष्कर्ष निकालने के पूर्व इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आलोच्य प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र का नहीं है अपितु दखिल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 का है । यह तर्क दिया गया कि जिस समय भूमि का व्यवस्थापन किया गया उस समय आलोच्य भूमि 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी यदि बाद में नगर पालिका परिसीमन होने पर प्रश्नाधीन भूमि की दूरी कम हो गई है तो उसके आधार पर उसे 5 किलोमीटर के भीतर स्थित होने का निष्कर्ष निकालना न्यायोचित नहीं है क्योंकि विधि का सिद्धांत है कि आदेश का प्रभाव भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी नहीं होता है । उक्त आदेशित दिनांक को जो नियम लागू हैं वह मान्य किए जाते हैं । ऐसा भी संभव है आगे आबादी बढ़ने पर प्रश्नाधीन भूमि की दूरी	

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

और घट सकती है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया या कि रेल लाईन प्रश्नाधीन भूमि से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है इस संबंध में उन्होंने मौजा डुमरऊ मोटा का प्रमाणित ट्रेस नक्शा संलग्न किया ।

उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि शिकायत के आधार पर 14 वर्ष उपरांत अधिकारिता रहित आदेश पारित करना पूर्णत अवैधानिक कार्यवाही है । इस तथ्य को दोनों न्यायालयों ने अनदेखा किया है । यह भी कहा गया कि आवेदक ने आलोच्य भूमि पर व्यवस्थापन के उपरांत धन एवं श्रम व्यय कर भूमि को कृषि उपयोग हेतु बनाया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई दिनांक 6–2–17 को लिखित बहस पेश करने हेतु तीन दिवस का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा समयावधि में लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आाार पर किया जा रहा है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से यह स्पष्ट है कि आवेदक को आलोच्य भूमि का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत विधिवत प्रकिया अपनाने, इश्तहार पर कोई आपत्ति न आने एवं पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त करने आदि के उपरांत विधिवत तरीके से आवेदक का दिनांक 2–10–84 को प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पाए जाने के आधार पर किया गया है । दिनांक 2–10–84 को आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा था इसकी पुष्टि तहसील न्यायालय के

IX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2908–एक/16 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख में संलग्न खसरे इत्यादि से होती है । विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, इस विधिक स्थिति को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक ने 14 वर्ष उपरांत अपील पेश की थी जो प्रचलन योग्य नहीं थी, आवेदक द्वारा इस संबंध में उनके समक्ष आपत्ति भी की गई है, परंतु इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करना पूर्णत अवैधानिक कार्यवाही है । अपर आयुक्त ने भी उक्त तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में विधिक त्रुटि की गई है । आवेदक को जिस समय भूमि का वंटन किया गया उस समय भूमि नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के 5 किलोमीटर के अंदर स्थित थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है यदि बाद में उक्त भूमि नगर सीमा में शामिल हो जाती है तो यह मानना कि भूमि नगर पालिका परिषद सीमा के 5 किलोमीटर के अंदर है, जिसके पट्टे देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि अनावेदक का विवादित भूमि पर कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है अनावेदक दूसरे स्थान का निवासी है जैसाकि प्रकरण में संलग्न वोटर लिस्ट से प्रमाणित है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के विधिसम्मत आदेश को 13 वर्ष से अधिक समय उपरांत प्रस्तुत की गई अपील जो प्रचलन योग्य नहीं थी में निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है अतः उनका आदेश एवं उनके आदेश की पुष्टि करने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6— प्रकरण में विचार योग्य बिंदु यह भी है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि का व्यवस्था 19—11—1998 को किया गया है । भूमि बंटन में प्राप्त कर कब्जा लेने के बाद आवेदकों ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर समतल बनाते हुए कृषि योग्य बनाया तब क्या ऐसी भूमि को पुनः शासकीय घोषित करना उचित है अथवा नहीं ? न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—3 की कंडिका 24 सहपठित 30 — म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 — भूमि का आवंटन किया गया—सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गई — प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रकियात्मक त्रुटियों के कारण वंटिती को भूमि आवंटन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता । " इस प्रकरण में अनुविभागीय एवं अपर आयुक्त द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थि नहीं रखे जा सकते । कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखा जा

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2908–एक/16 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जा सकता । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–16 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–15 अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–11–1998 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों के पालन में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों से हटाया गया हो तो उसे पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये एवं तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । (एम0 के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर	